ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प का योगदान

-ऋषभ कृष्ण सक्सेना

ग्रामीण शिल्प या दस्तकारी लंबे अरसे से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। कृषि के बाद देश में सबसे अधिक रोज़गार इन्हीं कलाओं के उद्योग से आता है और ग्रामीण तथा शहरी आबादी को आजीविका का बेहद अहम साधन इन शिल्पों से मिलता है। हस्तशिल्प या दस्तकारी पारंपरिक कलाओं को जीवित तो रखती ही हैं, ग्रामीण इलाकों में परिवार की कुल आय में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। देश के कुछ हिस्सों में महिलाओं का समूह कुटीर उद्योग या लघु उद्यम की तरह शिल्प को संगठित और औपचारिक रूप दे रहा है, जिससे उनका उत्पादन, कारोबार और आय काफ़ी बढ़ रहे हैं।

आपने मधुबनी चित्रकला का नाम सुना होगा या पट्टचित्र का ज़िक्र कभी आपके सामने हुआ होगा? आपने चंदेरी साड़ी, गुजरात की ब्लॉक प्रिंटिंग या ज़री ज़रदोज़ी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये सभी भारत के अलग-अलग इलाकों की शिल्प कलाएं हैं, जिनमें हाथ की कारीग़री दिखाई देती है। ख़ास बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर शिल्पग्रामीण इलाकों में फलते-फूलते हैं। ये ग्रामीण शिल्प या दस्तकारी लंबे अरसे से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। कृषि के बाद देश में सबसे अधिक रोज़गार इन्हीं कलाओं के उद्योग से आता है और ग्रामीण तथा शहरी आबादी को आजीविका का बेहद अहम साधन इन शिल्पों से मिलता है।

शिल्प के मामले में भारत हमेशा से बहुत समृद्ध रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 70 लाख शिल्पी हैं मगर अनाधिकारिक स्त्रोतों के हिसाब से इनकी संख्या कम से कम 2 करोड़ है। आंकड़ों में इतना अंतर इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र अनौपचारिक और असंगठित है। हालांकि बढ़ते शहरीकरण और रोज़गार की तलाश में शहरों की ओर पलायन के कारण कई ग्रामीण शिल्पकलाएं खत्म होती जा रही हैं फिर भी देश में 3,000 से अधिक पारंपरिक शिल्पकलाएं मिलती हैं।

जम्मू-कश्मीर में कागज की लुग्दी की कलाकृतियां, लद्दाख और हिमाचल में थंगका चित्रकारी, पंजाब में फुलकारी तथा बाघ पोशाकें, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी और ज़रदोज़ी, मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ी और गोंड चित्रकारी, महाराष्ट्र में टेराकोटा कलाकृतियां और वरली चित्रकारी, कर्नाटक में चंदन की नक्काशी और बंजारा कढ़ाई, तमिलनाडु में तंजावुर कलमकारी, आंध्र प्रदेश में कलमकारी, रूमाल तथा कोंडापल्ली खिलौने तथा तेलंगाना में इकत का काम उनमें से कुछ ख़ास नाम हैं। देश के पूर्वोत्तर और जनजातीय इलाकों में बांस और घास से कई प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। इसी तरह बिहार में मधुबनी चित्रकारी और रेशम का काम हो अथवा पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा में पट्टचित्र हों, देश के कमोबेश हरेक हिस्से में ऐसी शिल्पकला मिल जाती हैं, जो उस हिस्से की पहचान बन गई हैं। इन कलाओं को

लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। ई-मेल : rishabhakrishna@gmail.com

जीवित रखने का काम ग्रामीण समुदायों ने ही किया है।

ग्रामीण आय का ज़रिया

हस्तशिल्प या दस्तकारी पारंपरिक कलाओं को जीवित तो रखती ही हैं, ग्रामीण इलाकों में परिवार की कुल आय में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। गाँवों में जहां पुरुष आमतौर पर खेती में जुटे रहते हैं, वहां महिलाएं और वंचित वर्गों के लोग हस्तशिल्प में व्यस्त रहते हैं। संस्कृति, रिवाज़ या सामाजिक प्रचलनों के कारण ये लोग बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाते या समाज के बाकी लोगों के साथ घुलमिल नहीं पाते। ऐसे में श्रम बल से बाहर रहने वाले ये लोग शिल्प के माध्यम से परिवार की आय में योगदान ज़रूर करते हैं। वास्तव में देश के कुछ हिस्सों में महिलाओं का समूह कुटीर उद्योग या लघु उद्यम की तरह शिल्प को संगठित और औपचारिक रूप दे रहा है, जिससे उसका उत्पादन, कारोबार और आय काफ़ी बढ़ रहे हैं।

यूं भी अध्ययन कहते हैं कि भारत में 2030 तक कृषि से इतर लगभग 9 करोड़ रोज़गार की ज़रूरत है। किसानों की आय बढ़ाने के सरकार के संकल्प में भी कृषि से इतर गतिविधियां कारग़र साबित हो सकती हैं, जिनमें हस्तशिल्प भी अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए किसान परिवारों में पशुपालन, पोल्ट्री आदि के साथ ही शिल्प पर भी ज़ोर दिया जाए तो अधिक आय हो सकती है क्योंकि शिल्प उत्पाद दूध या चटनी-पापड़ के बजाय काफ़ी अधिक मार्जिन यानी मुनाफ़ा दे सकते हैं।

निर्यात में योगदान

दस्तकारी का देश के निर्यात राजस्व में भी ख़ासा योगदान है। हालांकि ग्रामीण हस्तशिल्प के कारोबार और निर्यात के आंकड़े तो अलग से नहीं मिलते मगर कुल भारतीय हस्तशिल्प निर्यात में इनकी अच्छी-खासी हिस्सेदारी है। एंटीक कलाकृतियों, पारंपरिक कलाकृतियों, सेरैमिक, कढ़ाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, कपड़े, फर्नीचर, ज़ेवरात, चमड़ा उत्पाद, धातु उत्पाद, रत्न जैसे सामान हस्तशिल्प में आते हैं और भारत से इनका काफ़ी निर्यात होता है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के अप्रैल, 2023 में जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में देश से 358.35 करोड़ डॉलर के हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात हुआ। इसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी लकड़ी के उत्पादों की रही है। वर्ष 2022-23 में तकरीबन 100 करोड़ डॉलर का निर्यात तो लकड़ी के सामान का ही हुआ था। उससे पिछले वित्त वर्ष में लकड़ी उत्पादों का निर्यात आंकड़ा 125 करोड़ डॉलर से कुछ ही कम था।

हालांकि 2021-22 के मुकाबले निर्यात का आंकड़ा लगभग 20 प्रतिशत कम रहा मगर इसका कारण रूस-यूक्रेन युद्ध, विकसित देशों में मंदी की आहट और महंगाई का लगातार बढ़ता दबाव रहा। बेशक निर्यात के आंकड़े कुछ सुस्त पड़े मगर इनकी बड़ी वजह प्रमुख बाज़ारों में आई मंदी है। यदि सरकार निर्यात के नए बाज़ार तलाशती है तो शिल्प उत्पादों का निर्यात बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है।

समस्याएं कई

विडंबना यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और निर्यात में इतने योगदान के बाद भी शिल्पकारों की आय बहुत कम रहती है। 2019-20 की अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना के मुताबिक 66 प्रतिशत हथकरघा बुनकर 5,000 रुपये महीने से भी कम कमाते हैं। उनकी ख़स्ता माली हालत के कई कारण हैं जैसे पारंपरिक एजेंट और कारोबारी, जो शिल्पकारों का सारा मार्जिन खा लेते हैं और उन्हें मुनाफ़ा ही नहीं होने देते। इन बिचौलियों से बचने के लिए शिल्पकार कई बार प्रदर्शनियों या शिल्पमेलों में सीधे बिक्री करने पहुंच जाते हैं। मगर उसमें उनकी काफी पूंजी खर्च हो जाती है।

शिल्प विकास योजनाएं

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हस्तशिल्प और विशेषकर ग्रामीण हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। वर्तमान केंद्र सरकार का तो इस पर ख़ास ज़ोर है। इसके तहत शिल्पकारों के लिए छह प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं।

1. मार्केटिंग सहायता एवं सेवा - देश में हस्तशिल्प के विकास में मार्केटिंग की अहम भूमिका है। इसलिए उत्पाद बेचने और उनकी मार्केटिंग करने में शिल्पियों की मदद करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास करती है। शिल्पकारों को बड़ा बाज़ार मुहैया कराने और उनके उत्पादों को लोगों तक पहुँचाने के लिए देसी और विदेशी बाज़ारों में मेले तथा प्रदर्शनी आदि कराए जाते हैं। देश में विभिन्न शिल्पकलाओं के लिए गाँधी शिल्प बाज़ार लगाए जाते है, जिनमें देश के विभिन्न हिस्सों से शिल्पियों को अपनी कला के प्रदर्शन और उत्पादों की बिक्री का मौका मिलता है। नियमित अंतराल पर सरकारी विभाग शिल्प प्रदर्शनियां भी आयोजित कराते हैं, जो गांधी शिल्प बाज़ार की तुलना में अधिक बड़े स्तर पर होती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिल्प मेले होते हैं, जो बड़े अंतराल के बाद और बड़े स्तर पर होते हैं। इनमें बड़ी तादाद में शिल्पकारों को आने और उत्पाद बेचने का मौका मिलता है। नई दिल्ली में हर वर्ष होने वाले भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले जैसे आयोजन भी शिल्पियों को मार्केटिंग और बिक्री का सुनहरा मौका प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, विदेशों में अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले, भारतीय लोक कला महोत्सव, शिल्प रोड शो, शिल्प जागरूकता कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भी शिल्प तथा शिल्पियों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। शिल्पियों और इस क्षेत्र से जुड़े एमएसएमई को बड़ा बाज़ार और खरीदार मुहैया कराने के लिए नियमित रूप से बायर-सेलर मीट आयोजित कराए जाते हैं, जिनमें अक्सर विदेशी खरीदार आते हैं।

2. हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास - शिल्प के मामले में भारत बहुत समृद्ध है मगर आधुनिक बाज़ार की ज़रूरतों को देखते हुए शिल्प उत्पादों को अधिक परिष्कृत बनाना, बेहतर पैकेजिंग देना तथा बड़े स्तर पर उत्पादन करना ज़रूरी हो गया है। इसके लिए शिल्पियों को प्रशिक्षण देने और ज़रूरी कौशल एवं सहायता उपलब्ध कराने का काम भी किया जा रहा है। इस उद्देश्य से सरकार डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशालाएं चलाती है, जिसमें शिल्पियों को उत्पादों की बेहतर और आधुनिक डिज़ाइन देना और मेहनत कम एवं उत्पादन अधिक करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। ऐसी कार्यशालाओं में 20 से 40 शिल्पकारों को 25 से 75 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाता है।

कलाओं को विलुप्त होने से रोकने के लिए गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें माहिर शिल्पी नई पीढ़ी के शिल्पकारों को उस कला के गुर देते हैं। इससे कौशल की कमी दूर होती है और बाज़ार को अधिक संख्या में उत्पाद भी मिलते हैं। इसी प्रकार कौशल उन्नयन कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिससे शिल्पियों को बेहतर और अधिक संख्या में शिल्प उत्पाद तैयार करने में मदद मिलती है।

3. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना - यह क्लस्टर पर आधारित और बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत किसी भी क्षेत्र में तीन से पाँच किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँवों का क्लस्टर बना दिया जाता है, जिसमें स्थानीय शिल्प के कारीगर शामिल रहते हैं। इस क्लस्टर को पाँच वर्ष तक वित्तीय, तकनीकी और सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका मकसद शिल्पकारों के लिए रोज़गार सृजन करना, उन्हें बेहतर तकनीक का इस्तेमाल सिखाना, डिज़ाइन बेहतर बनाकर प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलना, बाज़ार मुहैया कराना, स्थानीय शिल्प के ब्रांड तैयार कर उनका प्रचार करना और विभिन्न संसाधन जुटाना है। इसके तहत देसी बाज़ार और विदेशी बाज़ार के लिए अलग-अलग क्लस्टर पहचाने जाते हैं और उन्हें हर प्रकार की सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो शिल्पियों को मात्र उत्पादक बनकर रह जाने के बजाय अपने उत्पादों के विनिर्माता और कारोबारी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

4. शिल्पकारों को प्रत्यक्ष अंतरण - डीबीटी की तर्ज पर चलने वाली यह योजना बुज़ुर्ग शिल्पकारों के लिए है। शिल्प गुरु सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार अथवा मेरिट प्रमाणपत्र या राज्य पुरस्कार पाने वाले शिल्पियों और हस्तशिल्प में उत्कृष्ट कारीगरी वाले ऐसे शिल्पियों को इसके तहत वित्तीय सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होती और जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम नहीं होती। इसके तहत उन्हें हर महीने अधिकतम 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा, शिल्पकारों को ब्याज में रियायत दी जाती है।

5. बुनियादी ढांचा एवं प्रौद्योगिकी सहायता - इसके अंतर्गत शिल्पियों को शहरों और महानगरों में ग्राहकों से सीधे संपर्क करने और माल बेचने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। नई दिल्ली में दिल्ली हाट तथा कई शहरों में शिल्पग्राम इसके उदाहरण हैं। इसी तरह शहरों में शिल्पियों के लिए इंपोरियम और हस्तशिल्प म्यूज़ियम तथा कच्चे माल के डिपो बनाए गए हैं। विभिन्न विभाग शिल्प निर्यातकों और उद्यमियों को तकनीकी उन्नयन में मदद करते हैं। कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों के मानकीकरण के लिए जांच प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं।

6. अनुसंधान एवं विकास - इसमें विभिन्न हस्तशिल्पों के आर्थिक, सामाजिक एवं संवर्धन से जुड़े पहलुओं पर अध्ययन तथा सर्वेक्षण कराए जाते हैं। इससे शिल्पियों की स्थिति और उनके जीवन स्तर में बदलाव जैसी बातों का भी पता चलता है।

इसके अलावा पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक ही तरीके से काम करने वाले शिल्पी आधुनिक समय की मांग के अनुसार ख़ुद को ढाल नहीं पाते और नई प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल नहीं करते। इससे उनका उत्पादन कम रहता है, नए और विविधता भरे डिज़ाइन के बदले वे एक ही ढर्रे पर उत्पाद बनाते रहते हैं और समूह यानी क्लस्टर का फ़ायदा नहीं उठा पाते। इन कारणों से भी उनकी आय बहुत कम रह जाती है। जहां कुछ शिल्पी आधुनिक तरीके अपनाकर महीने के 25,000 से 30,000 रुपये तक कमा रहे हैं वहीं ज़्यादातर शिल्पकार 10,000 रुपये से भी कम आय में संतोष कर लेते हैं।

चूंकि शिल्पकार आधुनिक मशीनों के बजाय पारंपरिक तरीके से काम करते हैं, इसलिए बड़े शहरों के बजाय इनकी ज़्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। लेकिन गाँवों में होने की वजह से यह न तो संगठित और औपचारिक जामा पहन पाया है तथा न ही मेहनत के एवज में सही पारिश्रमिक पाने की हालत में है। एक और बड़ी दिक्कत पूंजी की है, जो शिल्पकारों और उन्हें काम देने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को बहुत परेशान करती है। हालांकि सरकार ने मुद्रा ऋण और दूसरी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्योगों के लिए पूंजी की समस्या दूर करने का प्रयास किया है किंतु अक्सर इनके साथ इतनी अधिक और जटिल शर्तें जुड़ी होती हैं कि लोग आवेदन ही नहीं करते और करते भी हैं तो उनकी अर्ज़ी खारिज हो जाती है। ऐसे में महिलाओं का समूह या शिल्पियों का क्लस्टर धनाभाव के कारण बाज़ार की मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पाता और कारोबार का मौक़ा गंवा बैठता है।

सरकारी योजनाएं

ऐसा भी नहीं है कि सरकार शिल्पियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकारें हमेशा ही शिल्प को बढ़ावा देती आई हैं और मोदी सरकार के तहत इसमें पहले से अधिक सक्रियता हो गई है। मुद्रा और दूसरी योजनाओं के ज़रिये शिल्पियों को कर्ज़ देकर पूंजी की समस्या दूर करने का प्रयास हो रहा है, तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है, बुनियादी ढांचा मज़बूत किया जा रहा है और कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं (देखें बॉक्स)। सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, मेगा क्लस्टर योजना, विपणन सहायता एवं सेवा योजना, अनुसंधान एवं विकास योजना चलाई जा रही हैं, जो शिल्पकारों और उनके साथ जुड़े एमएसएमई को बुनियादी ढांचे और वित्त से लेकर प्रौद्योगिकी तक सभी प्रकार की मदद मुहैया कराती हैं। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और प्रचार के कारण कई गाँवों में शिल्प क्लस्टर भी बने हैं, जिनसे शिल्पियों को संगठित होकर काम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिली है।

कैसे सुधरे हालात

बढ़ें निर्यात बाज़ार :- लेकिन सरकार के इतने प्रयास शायद नाकाफ़ी होंगे और उस पर नए नज़रिए से विचार करना होगा।

निर्यात के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, फ्रांस, लैटिन अमेरिका, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय हस्तशिल्प की बहुत मांग है। लेकिन यूरोप में युद्ध की आंच और ब्याज़ दर कटौती के कारण वहां मांग घटी है और भारत से शिल्प निर्यात भी कम हुआ है। ऐसी दिक्कतों से निपटने का सबसे अच्छा तरीक़ा निर्यात के नए बाज़ार तलाशना है ताकि एक क्षेत्र में मांग ठहरने या कम होने पर दूसरे क्षेत्र से उसकी भरपाई हो सके। सरकार के इसके लिए नए देशों में शिल्प मेले कराने चाहिए या दूसरे माध्यमों से भारतीय शिल्प का प्रचार करना चाहिए ताकि निर्यात बढ़ाने के लिए हमें नए बाज़ार मिल सकें।

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और वाराणसी जैसे शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस यानी निर्यात उत्कृष्टता के शहर की श्रेणी में रखा गया है। ज़ाहिर है, इससे मुरादाबाद के मशहूर पीतल उद्योग और वाराणसी में रेशमी साड़ी के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा उनके शिल्पकारों को भी मदद मिलेगी। पूरे देश नियमित अंतराल पर ऐसे हस्तशिल्प और विशेषकर ग्रामीण शिल्प के केंद्रों को तलाश कर उत्कृष्ट शहर का दर्ज़ा दिया जाना चाहिए। इससे ख़त्म हो रही या कम चर्चित शिल्पकलाओं को अगले कुछ वर्षों में नया जीवन मिलेगा और शिल्पियों को रोज़गार बढ़ेगी तथा आय मिलेगा।

पश्मीना शॉल

जम्मू और कश्मीर की पश्मीना शॉल समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे पालतू चंगथांगी बकरियों के कच्चे बिना काते हुए ऊन से बनाया जाता है। यह शॉल पतला व बारीक होता है और ओढ़ने वाले को पर्याप्त गर्माहट देता है। इस गर्म शॉल को बनाते समय ऊनी कपड़े को एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से एक महीन शॉल में बदल दिया जाता है और यह एक विशेष काम है क्योंकि हर कदम पर कोमलता बनाए रखनी होती है। आमतौर पर इसे तीन पैटर्न में बुना जाता है, टवील या साडे बुनाई, लोकप्रिय हीरा या चासम-ए-बुलबुलऔर विशेष हेरिंगबोन शैली या गदा कोंड। पश्मीना शॉल की गणना भारत के सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक शिल्पों में की जाती है।

ग्रामीण पर्यटन :- सरकार पिछले कुछ समय से ग्रामीण पर्यटन पर ज़ोर दे रही है और कॉरपोरेट क्षेत्र की नज़र भी इस पर पड़ी है। ग्रामीण पर्यटन के तहत पर्यटकों को किसी क्षेत्र विशेष की पारंपरिक जीवनशैली, पारंपरिक खानपान, रीति-रिवाज़ों और संस्कृति से परिचित कराया जाता है। यदि इसमें उस क्षेत्र के शिल्प पर विशेष ज़ोर दिया जाए और कम से कम एक दिन या शाम गाँवों में शिल्पियों के कामकाज और उत्पादों को दिखाने पर दिया जाए तो शिल्पियों की आय बढ़ेगी और उनकी कला का प्रचार भी होगा, जिसका परिणाम बेहतर कारोबार और कमाई में नज़र आएगा।

तकनीक का पकड़ें दामन :- मगर शिल्पियों को अपना कारोबार और आय बढ़ानी हैं तो केवल सरकार के प्रयासों के भरोसे बैठना सही नहीं होगा। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के ज़रिये दस्तकारों को नई प्रौद्योगिकी सिखाने का भरसक प्रयत्न कर रही है मगर उसका इंतज़ार करने के बजाय पहला मौक़ा मिलते ही अपने काम के लिए ज़रूरी तकनीक और दूसरे हुनर सीखना चाहिए। इससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता, डिज़ाइन और तादाद में इज़ाफा होगा। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी और उनके उत्पादों का ब्रांड भी तैयार होगा।

एमएसएमई और क्लस्टर :- शिल्पकार यदि अकेला काम करे तो बिचौलियों के हाथों उसका शोषण होने का डर ज़्यादा होता है। उसके बजाय 40-50 शिल्पियों के क्लस्टर या एमएसएमई के ज़रिये काम करना बेहतर होगा। इससे उत्पादन और आय बढ़ते हैं तथा अधिक मांग वाले बाज़ार तक पहुंच बन पाती है।

ई-कॉमर्स का इस्तेमाल :- ई-कॉमर्स की पहुँच बढ़ती जा रही है और नए अध्ययनों के मुताबिक अब भारत के छोटे शहरों ही नहीं बल्कि कस्बों में भी इन प्लेटफॉर्मों पर जमकर खरीदारी की जा रही है। ऐसे में देसी बिक्री और निर्यात के लिए ई-कॉमर्स बड़ा सहारा बन सकते हैं। यदि सरकार किसी नीति या अभियान के तहत हस्तशिल्प निर्यातकों और विनिर्माताओं को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पहुँचने में मदद करे तो इनकी बिक्री कई गुना बढ़ सकती है, जिसका फायदा अंत में शिल्पियों को ही मिलेगा। कई छोटे ब्रांड और ई-कॉमर्स कंपनियां शिल्पकारों को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देने के लिए अलग से कोशिश करते हैं, जिनका फ़ायदा इन शिल्पियों को उठाना चाहिए।

नीतियों में मिले ज़्यादा तवज्जो :- समस्या यह है कि शिल्पियों को अक्सर मामूली कारीगर मानकर हेय दृष्टि से देखा जाता है और सरकारी नीतियों में भी ऐसे छोटे शिल्पकारों को अनदेखा कर दिया जाता है। यदि सरकारी नीतियों में शिल्प क्लस्टरों को जगह मिले तो उनमें निवेश भी बढ़ेगा और रोज़गार, कारोबार तथा आय में भी इज़ाफा होगा।

शिल्पकारों के सामने समस्याएं हैं तो समाधान के रास्ते भी हैं। मगर हमें उनके प्रति अपनी दृष्टि बदलनी होगी। नवाचार और समावेशन पर चर्चा के दौरान अक्सर अनौपचारिक क्षेत्र को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बंजारे, लुहार, कुम्हार जैसे सामाजिक रूप से हाशिये पर पड़े समुदाय अक्सर इसी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करते हैं और देश में कामगारों में उनकी संख्या 70 फीसदी से भी ज्यादा है। रोज़गार, आय और विस्तार की सबसे अधिक संभावना भी इन्हीं में है। हमें इनमें खाद-पानी डालना होगा ताकि रोज़गार या नौकरियों की कमी का रोना रोने के बजाय समाज का हरेक तबका परिवार चलाने के योग्य बन सके और देश की प्रगति तथा राजस्व में योगदान कर सके। ❑

हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल

वस्त्र मंत्रालय ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त करते हुए 35 लाख से अधिक हथकरघा बुनकरों और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल बनाया है। केंद्रीय वस्त्र, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 22 अप्रैल, 2023 को गुजरात में पोर्टल लॉन्च किया। इस वर्चुअल भारतीय स्टोर के माध्यम से कारीगरों को कीमतों में हेरफेर करने वाले बिचौलियों के बिना उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा। शहर में रहने वाले खरीददार सीधे शत-प्रतिशत प्रामाणिक और सर्वोत्तम हस्तशिल्प उत्पाद खरीद सकेंगे।

भारतीय हस्तनिर्मित पोर्टल - ये पोर्टल वस्त्र, गृह सज्जा, आभूषणों, अन्य साजों-सामान सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इसके सभी उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित हैं। ये भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। पोर्टल पर बेचे जाने वाले कई उत्पाद पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ सामग्री का उपयोग करके बनाए गए हैं। ये पर्यावरण हितैषी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है। यह भारत में हस्तनिर्मित सभी वस्तुओं के लिए वनस्टॉप शॉप है और भारतीय कारीगरों और उनके शिल्प को खोजने और उनका समर्थन करने का उत्कृष्ट माध्यम है। पोर्टल कुल 62 लाख बुनकरों और कारीगरों को भविष्य के ई-उद्यमी बनने का अवसर भी प्रदान करेगा।

पोर्टल की विशेषताएं

- एक प्रामाणिक भारतीय हथकरघा और हस्तकला वर्चुअल स्टोर
- भारतीय कालातीत विरासत की सुगंध
- बाधा रहित खरीदारी के लिए वापसी विकल्पों के साथ मुफ़्त शिपिंग।
- सुचारू लेनदेन अनुभव के लिए सुरक्षित और भुगतान के लिए कई विकल्प।
- इस पोर्टल पर विविध प्रकार के प्रामाणिक विक्रेता पंजीकृत हो सकते हैं, जैसे कारीगर, बुनकर, निर्माता कंपनियां, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां आदि।
- विक्रेताओं को कमीशन रहित पूर्ण लाभ।
- बिचौलियों का कोई हस्तक्षेप नहीं जिससे भारतीय शिल्पकारों की क्षीण स्थिति में सुधार सुनिश्चित हो सके।
- सुचारू ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए कई लॉजिस्टिक पार्टनरों के साथ एकीकरण।
- 'व्यापार करने में आसानी' सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण से ऑर्डर पूरा होने तक विक्रेताओं की मुफ्त सहायता।
- कारीगरों/बुनकरों को एक साझा मंच के माध्यम से सीधे खरीदारों से जोड़ा जाएगा।
- टोल फ्री ग्राहक सहायता - 18001-216-216